3:05 Vo LTE 46%

...म जानकारी खुद ही भर पूरी जानकारी भरनी होगी हुंचेंगे और जानकारी भरे शिता भी इसमें होगी। अप्रेल से 30 अप्रेल तक इसलिए प्रगणक खुद नेवार्य है। जानकारी देने से

जानकारी जुटाएंगे। डेटा को एप के माध्यम से रियल टाइम पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

...का प्रावधान

उसके खिलाफ कार्रवाई ...देने की जरूरत नहीं है, ...जाता है, इसमें किसी एक ...री सार्वजनिक की जाती है। ...नहीं बताई जाएगी।

जनगणना

गृह विभाग के मुताबिक जनगणना का दूसरा और अंतिम चरण फरवरी 2027 को होगा। दूसरे चरण में जातिगत जनगणना होगी। इसके लिए प्रदेश में अधिकारियों का प्रशिक्षण अलग से कराया जाएगा। पहले चरण में सिर्फ लोगों की व्यक्तिगत जानकारी मांगी जाएगी।

देना होगा 33 सवालों का जवाब

जनगणना में लोगों को 33 सवालों का जवाब देना होगा। इसमें मकान की जानकारी, घर किस प्रकार का है? कमरे कितने हैं? घर किराए या स्वयं का है? परिवार की जानकारी, इसमें घर में रहने वाले परिवारों की संख्या, विवाहित दंपतियों और बच्चों की जानकारी, घर में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी जैसे टीवी, फ्रिज, लैपटॉप, कम्प्यूटर, साइकिल, कार की जानकारी और परिवार द्वारा उपयोग किए जाने वाले मुख्य अनाज की भी जानकारी ली जाएगी।

मेला मैदान की सफाई का काम तेजी से चल रहा है। इस वर्ष भव्य शिव बारात, महा-रुद्राभिषेक, और विशेष श्रृंगार कार्यक्रमों का आयोजन होगा।

बड़वाले महादेव मंदिर में 21 दिवसीय महाशिवरात्रि महोत्सव के अंतर्गत विवाह की रस्में हल्दी-मेहंदी चल रही हैं, जिसमें पारंपरिक गारी-गीत गाए जा रहे हैं। बाबा बटेश्वर को हल्दी-मेहंदी की रस्म के बाद पीले चावल देकर भक्तों को आमंत्रण दिया जा रहा है। इस अवसर पर शहर में 150 से अधिक शिव बारात और झांकियां निकालने की तैयारी की जा रही है, जिसके लिए थीम तय की जा चुकी हैं। वहीं भोजपुर मंदिर में विशाल भंडारा, महर्षि महेश योगी संस्थान में 121 वैदिक पंडितों द्वारा महा रुद्राभिषेक महायज्ञ होगा।

भोजपुर मंदिर गर्भगृह की जगह रैंप से कर सकेंगे दर्शन

महाशिवरात्रि के अवसर पर भोजपुर शिव मंदिर में मेले का आयोजन किया जाएगा। बड़ी संख्या

में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने विशेष तैयारियां की हैं। इस बार श्रद्धालु मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। दर्शन के लिए शिवलिंग के सामने विशेष रैंप बनाया गया है, जहां से श्रद्धालु खड़े होकर दर्शन करेंगे। प्रशासन के अनुसार, पिछले वर्षों में गर्भगृह में अत्यधिक भीड़ और अव्यवस्था की स्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। रैंप से दर्शन करने के बाद श्रद्धालुओं को तुरंत नीचे उतरना अनिवार्य होगा, ताकि आवागमन लगातार बना रहे और भीड़ नियंत्रित रहे। महोत्सव को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 250 से अधिक पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। ड्रोन कैमरों से पूरे क्षेत्र की निगरानी की जाएगी। रायसेन किले की पहाड़ी पर 100 से ज्यादा अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।

...करोड़ खर्च लेकिन नहीं बन पाई स्मार्ट सिटी

...का बजट खत्म, भोपाल सहित 7 जिलों में परियोजनाओं का काम अधूरा

...में 7 हजार करोड़ खर्च ...यार नहीं हो पाई है। इस ...ज्य सरकार दोनों ने ही ...बाद भी भोपाल सहित ...काम अधूरा पड़ा हुआ है। ...टी का काम कई चरण में ...सरकार ने स्मार्ट सिटी ...खर्च किया था। केंद्र ...फिर भी योजना धरातल ...जना के तहत भोपाल में ...इसके अलावा स्मार्ट ...मल्टीलेयर के साथ ...पाया है। उसके पीछे ...सा जरूर आया लेकिन ...समय पर नहीं दे पाई। ...अधूरा हुआ लेकिन ...ने के बाद भी भोपाल ...का काम शुरू हुआ था

स्मार्ट सिटी पर मध्य प्रदेश में कितना खर्च

मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार की तरफ से 3430 करोड़ रुपए जारी किए गए। इनमें से 3422 करोड़ खर्च हो चुके हैं। ठीक इसी तरीके से राज्य के हिस्से की स्थिति में सरकार ने 3500 करोड़ रुपए दिए। इसके बाद स्मार्ट सिटी योजना में 3491 करोड़ खर्च हुए सात शहरों में लगभग परियोजनाओं का काम अधूरा है, लेकिन योजना के लिए पूरा बजट दिया जा चुका। भोपाल, ग्वालियर, इंदौर और जबलपुर में पूरा बजट खर्च किया जा चुका है लेकिन काम अधूरा पड़ा हुआ है। वहीं, सागर, सतना और उज्जैन में भी लगभग 80 प्रतिशत फंड खत्म हो चुका है।

वहां पर धरातल पर कोई विशेष और सफलता पूर्ण परियोजना पूरी नहीं हुई है। साल 2015 में मध्य प्रदेश के सात शहरों को शामिल किया गया था, जिसमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, सतना और उज्जैन को आधुनिक बुनियादी ढांचे और पर्यावरण के साथ-साथ बेहतर जीवन के लिए चुना गया था।

...कंफर्म ...श्किल

...त की उम्मीद

...ही अधिकांश ट्रेनों में ...गती है। वेटिंग लिस्ट ...मिलना मुश्किल हो ...साल त्योहारों के समय

...टिकट का सहारा लेना ...ती है। कई यात्रियों को ...निजी वाहन जैसे महंगे ...मांग है कि त्योहारों से ...ट्रेनों की घोषणा करनी ...सके और लोगों को

...यवस्था

...टिस

...र पिछले एक साल में ...किए गए और 7 को ...विभाग को निचले ...विभाग में इंजीनियरों ...ठाए गए। हालांकि ...ई किए जाने का ...52 ठेकेदारों को ...किया जा चुका है।

...जानकारी

...अब दो राज्य ...डब्ल्यूडी मंत्री राकेश ...औचक निरीक्षण के ...ज्य भी मध्य प्रदेश ...राज्य सरकार सड़क ...र का औचक ...ाग के अधिकारी

मध्य प्रदेश वित्त निगम

ऋण राशी की वूसली हेतु मांग सूचना (नोटिस)

मध्य प्रदेश वित्त निगम के माध्यम से प्राप्त किये गए ऋण जो की NPA हो चुके है व निम्नवर्णित बकाया राशी शेष है, उसकी विस्तृत मांग सूचना निम्नवर्णित ऋणियों एवं जमानतदारो को SFC Act, 1951 (Amended 2000) के तहत मांग सूचना वर्णित दिनांक को पंजीकृत डाक एवं स्पीड पोस्ट पावती सहित आपको भेजी गयी थी, जो कि वापस हुई है। ऋणी द्वारा निवास पता बदल लिया गया, मोबाइल न. बंद/बदल लिया/नहीं संपर्क किया जा रहा है। इसलिए बाध्य होकर इस प्रकाशन के द्वारा नोटिस देते हुए आप सभी संबंधितो को अवगत किया जाता है, की निम्नवर्णित ऋणी/जमानतदारो को एतद द्वारा मध्य प्रदेश वित्त निगम, संबंधित शाखा में इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों की अवधि के भीतर निम्नवर्णित बकाया राशी साथ ही अतिरिक्त ब्याज, लागत अनुषंगिक व्यय, प्रभार इत्यादि अदा करने के लिए सूचित करते है। निगम के दस्तावेजों एवं करार के अनुसार ऋणी की सुरक्षित आस्तियां निगम के प्रभार के अधीन है।

क्र.	ऋणी एवं जमानतदारो के नाम एवं पता	बंधक संपत्ति का विवरण	वसूली योग्य राशी एवं मांग सूचना दिनांक
1.	मेसर्स बाबा नारायण क्लाथ स्टोर, कटनी श्री रमेश कुमार चेलानी पिता श्री नारायणदास चेलानी (ऋणी) / श्री सुगनमल चेलानी पिता श्री नानूमल चेलानी (प्रतिभू), श्री महेश कुमार चेलानी पिता श्री नारायणदास चेलानी (प्रतिभू) 19, संत कंवरराम वार्ड, माधवनगर कटनी (म.प्र.)	मकान नं. 19, प्लाट नं. 613, शीट नं. 8, संत कंवरराम वार्ड, वार्ड नं. 43, माधवनगर, कटनी (म.प्र.)	रुपये 2.65 लाख (ब्याज दिनांक 01.03.2021 तक)
2.	मेसर्स वेंकटेश इन्टरप्राइजेज, कटनी श्री वेंकटेश खण्डेलवाल पिता श्री भगत प्रसाद खण्डेलवाल (ऋणी)/ श्रीमती शक्ति खण्डेलवाल पति श्री वेंकट खण्डेलवाल (प्रतिभू), जयदयाल रोड, सुभाष वार्ड, दुबे कॉलोनी, गोपाल नगर, कटनी (म.प्र.) श्रीमती पारुल अग्रवाल पति श्री मुकेश अग्रवाल (प्रतिभू) दुबे कॉलोनी, गोपाल नगर, कटनी (म.प्र.)	ऑफिस एवं गोदाम स्थित आराजि खसरा नं. 12/4, 13/1, 14/3 एवं 15/1, प.ह.नं. 41/44, नं.बं. 245, मौजा छपरवाह, कटनी (म.प्र.) (रकबा 43,560 वर्ग फीट)	रूपये 93.39 लाख (दिनांक 01.08.2019 तक)
3.	मेसर्स श्री ट्रेडर्स, कटनी श्रीमती शक्ति खण्डेलवाल पति श्री वेंकट खण्डेलवाल (ऋणी)/ श्री वेंकट खण्डेलवाल पिता श्री भगवत प्रसाद खण्डेलवाल (प्रतिभू) जयदयाल रोड, सुभाष वार्ड, दुबे कॉलोनी, गोपाल नगर, कटनी (म.प्र.) श्रीमति पारुल अग्रवाल पति श्री मुकेश अग्रवाल (प्रतिभू) दुबे कॉलोनी, गोपाल नगर, कटनी (म.प्र.)	प्रतिभूति ऑफिस एवं गोदाम स्थित आराजि खसरा नं. 1557/3, 1557/4 एवं 1557/5, प.ह.नं. 41/44, नं.बं. 407, रफी अहमद किदवई वार्ड, मौजा खिरहनी, कटनी (म.प्र.) (रकबा 49,496 वर्गफिट) अतिरिक्त प्रतिभूति ऑफिस एवं गोदाम स्थित आराजि खसरा नं. 12/4, 13/1, 14/3 एवं 15/1, प.ह.नं. 41/44, नं.बं. 245, मौजा छपरवाह, कटनी (म.प्र.) (रकबा 43,560 वर्ग फीट)	रूपये 69.19 लाख (दिनांक 01.02.2019 तक)
4.	मेसर्स श्रीराम फेब्रिकेटर्स, कटनी श्री विजय कुमार सुल्तानिया पिता श्री जीवनलाल सुल्तानिया (ऋणी) जयदयाल रोड, सुभाष वार्ड, दुबे कॉलोनी, गोपाल नगर, सुभाष वार्ड, कटनी (म.प्र.) श्रीमती शक्ति खण्डेलवाल पति श्री वेंकट खण्डेलवाल (प्रतिभू), जयदयाल रोड, सुभाष वार्ड, दुबे कॉलोनी, गोपाल नगर, कटनी (म.प्र.) श्रीमती पारुल अग्रवाल पति श्री मुकेश अग्रवाल (प्रतिभू) दुबे कॉलोनी, गोपाल नगर, कटनी (म.प्र.)	प्रतिभूति ऑफिस एवं गोदाम स्थित आराजि खसरा नं. 1, 2, 3 (पार्ट), प.ह.नं. 41/44, नं.बं. 24-5, मौजा छपरवाह, कटनी (म.प्र.) (रकबा 0.486 हेक्टेयर) अतिरिक्त प्रतिभूति ऑफिस एवं गोदाम स्थित आराजि खसरा नं. 1557/3, 1557/4 एवं 1557/5, प.ह.नं. 41/44, नं.बं. 407, रफी अहमद किदवई वार्ड, मौजा खिरहनी, कटनी (म.प्र.) (रकबा 49,496 वर्ग फीट)	रूपये 62.45 लाख (दिनांक 01.02.2021 तक)
5.	मेसर्स प्रिंस एडुकेयर, कटनी श्री पंकज चक्रवर्ती पिता श्री रमेश कुमार चक्रवर्ती (ऋणी)/ रोशन नगर, कटनी (म.प्र.) श्रीमती शक्ति खण्डेलवाल पति श्री वेंकट खण्डेलवाल (प्रतिभू), जयदयाल रोड, सुभाष वार्ड, दुबे कॉलोनी, गोपाल नगर, कटनी (म.प्र.) श्रीमती पारुल अग्रवाल पति श्री मुकेश अग्रवाल (प्रतिभू) दुबे कॉलोनी, गोपाल नगर, कटनी (म.प्र.)	प्रतिभूति ऑफिस एवं गोदाम स्थित आराजि खसरा नं. 8/1 (पार्ट), प.ह.नं. 41/44, नं.बं. 24-5, मौजा छपरवाह, कटनी (म.प्र.) (रकबा 0.384 हेक्टेयर) अतिरिक्त प्रतिभूति ऑफिस एवं गोदाम स्थित आराजि खसरा नं. 12/4, 13/1 एवं 15/1, प.ह.नं. 41/44, नं.बं. 24-5, मौजा छपरवाह, कटनी (म.प्र.) (रकबा 43,560 वर्ग फीट)	रूपये 41.48 लाख (दिनांक 01.02.2019 तक)

उपरोक्त ऋणी / जमानतदार यदि 60 दिवस के भीतर निगम को बकाया राशी चुकाने में असफल रहते है तो SFC Act, 1951 के प्रावधानों के तहत राजस्व वसूली प्रमाण पत्र जारी कर वसूली की कार्यवाही में बंधक संपत्ति को कब्जे में लेने तथा उनके विक्रय करने की कार्यवाही की जावेगी। इसके अतिरिक्त यह सूचित किया जाता है की उक्त बंधक संपत्तियों को विक्रय करने या किसी अन्य प्रकार से बाधा डालने से प्रतिबंधित है। आप पर शासकीय राशी खुर्द-बुर्द करने का आर्थिक अपराध माना जाकर सुसंगत वैधानिक धाराओं अंतर्गत सख्त कार्यवाही के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। उपरोक्त ऋणी तत्काल निगम से संपर्क करें।

मध्य प्रदेश वित्त निगम, 1108, पचपेढ़ी, साउथ सिविल लाइन, जबलपुर, फोन/ 0761 2609841
शाखा प्रबंधक: श्री राजन बाबू मोब.: 9329394094, ईमेल: finance@mpfc.org, mpfcjabalpur@gmail.com

Zoom Download